न्यायालय सहायक कलेक्टर , पिण्डवाडा

पीठासीन अधिकारी : पर्वत सिंह चुण्डावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 201 / 2017

श्री नेमाराम पुत्र बुद्वाराम उर्फ बदारामजी जाति रावल निवासी–ऐसाउ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री फूसाराम पुत्र जवारामजी
2. श्री भरत पुत्र मोडीराम
3. श्री अशोक पुत्र मोडीराम
4. श्री प्रकाश पुत्र मोडीराम
5. श्री रमेश कुमार पुत्र ओपाराम
6. श्री हरीशंकर गोदी पुत्र धुलाराम
7. श्री हिम्मतराम पुत्र बुद्वाराम उर्फ बदाराम समस्त जातियान्–रावल, निवासीयान्–ऐसाउ तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही
8. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा, जिला सिरोही

..... अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212

उपस्थिति : –

1. श्री राजेन्द्र सिंह आढा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री उमेश पटेल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

दिनांक : 04.04.2018

आदेश

प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, की धारा 212 के अन्तर्गत इस न्यायालय में हमारे समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनवान का एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी ने आगे कथन किया है कि गांव अजारी पटवार हल्का अजारी तहसील पिण्डवाडा में स्थित कृषि आराजी निम्न प्रकार हैं :–

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा

क्र.सं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म
1.	225	1 बीघा 8 बिस्वा	ब.।।
2.	752	11 बीघा 15 बिस्वा	ब्जर
3.	753	2 बीघा 13 बिस्वा	चाही ।।
4.	754	2 बीघा 1 बिस्वा	जाव ।।, चाही ।।
5.	755	2 बीघा 9 बिस्वा	चाही ।।, जाव ।।
6.	756	2 बीघा 1 बिस्वा	चाही ।।,
7.	757	2 बीघा 8 बिस्वा	चाही ।।, जाव ।।
8.	758	2 बीघा 1 बिस्वा	चाही ।।,
9.	759	2 बीघा 5 बिस्वा	चाही ।।,
10.	760	1 बीघा 5 बिस्वा	चाही ।।,
11.	761	1 बीघा 1 बिस्वा	बंजर
12.	762	2 बीघा 11 बिस्वा	जाव ।।, चाही–।।
13.	763	0 बीघा 1 बिस्वा	गै0मु0
14.	764	0 बीघा 11 बिस्वा	गै0मु0
15.	765	1 बीघा 10 बिस्वा	चाही ।।
16.	766	1 बीघा 17 बिस्वा	चाही ।।, जाव ।।
17.	767	0 बीघा 13 बिस्वा	बंजर
18.	768	1 बीघा 12 बिस्वा	चाही ।।
19.	769	1 बीघा 15 बिस्वा	चाही ।।, जाव ।।
20	770	2 बीघा 4 बिस्वा	चाही ।।
21.	771	0 बीघा 8 बिस्वा	बंजर
कुल किता 21 कुल रकबा 44 बीघा 9 बिस्वा			कुल लगान 180.69 रू.

प्रार्थना–पत्र पद संख्या 2 में वर्णित राजस्व आराजी की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2069–2072 में प्रार्थी का 1/8 हक हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 का 1/4 हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 6 का 1/4 हक हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 7 का 1/8 हक हिस्सा हैं। उपरोक्त राजस्व आराजी का पक्षकारान के बीच विधि अनुसार विभाजन नहीं हुआ हैं तथा अपने हक हिस्से अनुसार खातेदारी हक जताते व बताते काबिज हैं। वादग्रस्त आराजी में कुआ खोदा हुआ हैं। जिस पर संयुक्त रूप से एक विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है जिसका उपयोग पक्षकारान अपने हक हिस्से अनुसार लेकर सिचांई करते हैं। लेकिन अब अप्रार्थीगण ने खेतो पर सीमेन्ट के खम्बे लगाकर तारबंदी कर दी हैं तथा अपने मन मर्जी अनुसार वादग्रस्त आराजी में पक्के मकान बना रहे है जिस कारण प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर सही ढंग से खेती नही कर पा रहे हैं। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में आपत्ति करने पर

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

वादग्रस्त आराजी को बेचान करने की धमकियां भी दे रहे हैं। जिससे अब पक्षकारान के बीच रंजिश बढने लगी हैं। जिससे प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह पक्षकारान के मध्य हक हिस्से अनुसार बटावार करावे व अपने हिस्से में आने वाली राजस्व आराजी व रास्ते का शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभोग करें। जिससे प्रार्थी ने बडवाड हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा दौराने वाद अप्रार्थीगण रेकर्ड व मौके की स्थिति में रद्दोबदल नही करें। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रेकडेर्ड खातेदार हैं तथा वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड व मौके पर पक्षकारान के बीच संयुक्त व अविभक्त है इस प्रकार प्रत्येक इंच पर सभी खातेदारान का समान रूप से हक हिस्सा है प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी का विधिवत बटवार कराये बगैर मौके पर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल कर रहे हैं। जिसका उन्हे कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है तथा सुविधा संन्तुलन भी मौके एवं रेकर्ड की दौराने वाद यथास्थिति कायम रखने में प्रार्थी के पक्ष में हैं व वादग्रस्त आराजी को खुदबुर्द करते है तो अतुलनीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करवाया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के विरूद्व ता फैसला वाद वादग्रस्त कृषि भूमि मे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य तथा, तारबंदी नही करने का प्रार्थी के 1/8 हक हिस्से में काश्त करने में बाधा उत्पन्न तथा उक्त कृषि भूमि का अन्य किसी को बेचान हस्तान्तरण या रहन नहीं रखे अर्थात मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावें।

प्रार्थना–पत्र से न्यायालय प्रथम दृष्टिया सहमत होने से प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.09.2017 को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण 1 ता 7 तथा श्री सरकार को नोटिस दिनांक 12.10.2017 को जरिये क्रमांक 4409 से जारी किया गया। नोटिस की तामिली पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने अपने अधिवक्ता के मारफत जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गयाा । स्टेट की फोरमल पक्षकार होने से जवाब प्राप्त नही हुआ ।

प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उस पर अप्रार्थीण के जवाब को मध्य नजर रखते हुए अन्तिम बहस अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं की सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया गयाा तथा कथन किया कि कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रेकडेर्ड खातेदार हैं तथा वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड व मौके पर पक्षकारान के बीच संयुक्त व अविभक्त है इस प्रकार प्रत्येक इंच पर सभी खातेदारान का समान रूप से हक हिस्सा है प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी का विधिवत बटवार कराये बगैर मौके पर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल कर रहे हैं। जिसका उन्हे कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है तथा सुविधा संन्तुलन अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे होने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे ।

अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र को दौराते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को अस्वीकार कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मीट्स एण्ड बाउण्ड के अनुसार ही पिढीयो बटे हुए है वादी,प्रतिवादी संख्या 6 के आर्थिक रुप से कमजोर होने से उसकी जमीन खरीदना चाहता है । प्रतिवादी संख्या 5 ने नींबू की

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

खेती की है प्रतिवादी संख्या 2,3 ने पपीते की खेती की है उसकी रक्षा के लिये तारबंदी की है हमारी तारबंदी से आने जाने में कोई समस्या नही है । वादी का 1/8 वा हिस्सा है हमारे काश्त में बाधा उत्पन्न करना चाह रहे है हमारे निर्माण का उचित कारण है । यह कृषि कार्य हेतु कर रहे है । तारबन्दी फसल की जंगली सुअर से रक्षा हेतु की है । प्रथम दृष्टया केस का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है । रिकार्ड की स्थिति से स्टे का क्या मतलब है मौका की क्या स्थिति है ऐसा कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नही है । अतः उक्त स्थिति को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमावे ।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रेकडेर्ड खातेदार हैं तथा वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड व मौके पर पक्षकारान के बीच संयुक्त व अविभक्त है इस प्रकार प्रत्येक इंच पर सभी खातेदारान का समान रूप से हक हिस्सा है प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी का विधिवत बटवार कराये बगैर मौके पर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल कर रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है तथा सुविधा का संन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं व वादग्रस्त आराजी को खुदबुर्द करते है तो अतुलनीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दौराने ता फैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है,

(पर्वत सिंह चुण्डावत)
सहायक कलेक्टर ,पिण्डवाडा

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 04.04.2018 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चुण्डावत)
सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा